प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दंण्ड प्रकिया संहिता)

1 जिला भ्र.नि.ब्यूरो. जयपुर थाना प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0नि0ब्यूरो जयपुर वर्ष 2022
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या.........151../2022 दिनांक.....29/4/2022.....

2. (I) **अधिनियम**....धारायें:-7,7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 व 120 बी भादसं

(II) **अधिनियम** ....धारायें ....

(III) **अधिनियम** .... धारायें ....

(IV) **अन्य अधिनियम एवं धारायें** ....

3. (अ) **रोजनामचा आम रपट संख्या** ....561 **समय** 5.20 P.M.

(ब) **अपराध घटने का वार**.....बुधवार.....दिनांक 27.04.2022 **समय** 06.35 पीएम

(स) **थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक** **23.03**.2022

4. **सूचना की किस्म :- लिखित/मौखिक**- लिखित

5. **घटनास्थल :**-परिवादी श्री ख्यालीराम के मकान के बाहर बने बैठक(हॉल), ढाणी चौलावा, जिणगौर, तह0 कोटपूतली जयपुर।

(अ) **पुलिस थाना से दिशा व दूरी:- बजानिब** उत्तर दिशा में करीब 115 कि0मी0

(ब) **पता** परिवादी श्री ख्यालीराम के मकान के बाहर बने बैठक(हॉल), ढाणी चौलावा, जिणगौर, तह0 पावटा जयपुर।

..............................बीट संख्या..........................जयरामदेही सं...............

(स) **यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो**

पुलिस थाना ....**जिला** ....

6. **परिवादी / सूचनाकर्ता :-**

(अ) **नाम:-** श्री ख्यालीराम

(ब) **पिता/पति का नाम:-** श्री उमराव यादव

(स) **जन्म तिथी/वर्ष** वर्ष............उम्र 50 साल..................

(द) **राष्ट्रीयता:-** भारतीय

(य) **पासपोर्ट संख्या:- जारी होने की तिथि ....जारी होने की जगह** ....

(र) **व्यवसाय:-** मजदुरी

(ल) **पता:-** ढाणी चौलावा, जिणगौर, द्वारिकापुरा तह0 पावटा जयपुर।

7. **ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित : –**

1. श्री नरेन्द्र बाकोलिया पुत्र श्री राजाराम जाति रैगर उम्र 29 साल निवासी खेलना तहसील पावटा जयपुर हाल कनिष्ठ अभियंता, ओ एण्ड एम, पनीयाला अतिरिक्त चार्ज नारेहडा, कोटपूतली, जयपुर
2. श्री अजय कुमार सैनी उर्फ चिन्टू पुत्र जयराम सैनी जाति माली, उम्र– 26 साल, निवासी– ढाणी भौजासवाली गांव व पुलिस थाना सरूण्ड तह0 कोटपूतली जिला जयपुर।
3. श्री रघुवीर सिंह मीणा पुत्र श्री नत्थूराम मीणा जाति मीणा उम्र 32 साल निवासी सुकलावास पुलिस थाना सरूण्ड, कोटपूतली हाल पेटी ठेकेदार जेवीवीएनएल, नारेहडा, कोटपूतली जयपुर

8. **परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण**

9. **चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)**

रिश्वती राशि 20,000/-रूपये

10. **चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य :-** रिश्वती राशि 20,000/-रूपये।

11. **पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो)** ....

12. **विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :-**

परिवादी श्री ख्यालीराम यादव का प्रार्थना पत्र श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक महोदय, SIU,ACB जयपुर ने अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर पृष्टांकन कर परिवादी व साथ आये व्यक्ति से परिचय करवाकर अग्रिम कार्यवाही हेतु सुपुर्द किया। परिवादी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि " सेवामें श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,एस.आई.यू.ए.सी.बी.जयपुर विषयः– भ्रष्ट जे.इ. एन व लाइनमैन को रंगे हाथों पकड़वाने के कम में, महोदय,उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मैं ख्यालीराम यादव निवासी ढाणी चोलावा गांव जीनगोर ग्राम पंचायत दवारिकपुरा तह.पावटा जिला जयपुर(राजस्थान) का हुँ मेरे नाम राजस्व रिर्कोड में कृषि भुमी खसरा न 963, 985/1158, 976 में 26 ऐयर जमीन तन जीणगोर ग्राम पंचायत द्ववारिकपुरा में स्थित है। उक्त कृषि भुमी में मेरा बोरिग करवाया हुआ है। मैंने उक्त भुमी में बिजली का कृषि कनेक्शन (बुन्द–बुन्द श्रेणी) लेने हेतु दिनांक 07/12/2021 को ए.ई.एन (ओ एण्ड एम) जयपुर डिस्कॉम कार्यालय नारेहड़ा कोटपुतली जयपुर में आवेदन किया था। 10–15 दिन तक कनेक्शन नहीं होने पर मैं जे.इ.एन साहब श्री नरेन्द्र बाकोलिया से जाकर मिला ओर मेरा कनेक्शन जारी करने के लिए बात की तो मुझसे डेढ लाख रूपये मांगे मेरे पास इतनी रकम नही होने से मैं वापस आ गया फिर मैंने लाइन मैन श्री मनोज से जाकर मिला ओर बात की तो उसने भी मुझसे डेढ लाख रूपये कनेक्शन के लिए मांगे। मेरे पास पैसे की व्यवस्था नहीं होने से मै वापस आ गया 2–3 दिन बाद मै वापस मिला तो वही डेढ लाख रूपये उन दोनों ने मुझसें मांगे, मै सोचता रहा कि राज्य सरकार के नियमानुसार प्राथमिकता के कम मे मेरा यह कृषी कनेक्शन हो जाऐगा। लेकिन दिनॉक 13/03/2022 को डाक द्ववारा मुझे श्रीमान ए.ई.एन.(ओ एण्ड एम) जयपुर डिस्कॉम नारहेड़ा का पत्र कमाक /JPD/AEN/3708 दिनांक 31/12/2022 मिला। जिसमें मेरी खसरा भुमी पर जे.ई.एन की रिपोर्ट के मुताबिक बोरिंग नही होने का उल्लेख देकर कृषी कनेक्शन देने में टालम–टोल कर रहा है। मुझे पुर्ण विश्वास है कि जे.ई.एन व लाइनमैन नें मेरे द्ववारा रिश्वत राशि न देने के कारण मेरा कृषी कनेक्शन अटका दिया है।मैं भ्रष्ट जे.ई.एन व लाइनमेंन को रिश्वत राशि नही देना चाहता। मेरी जे.ई.एन व लाइनमैन से न तो कोई लेना देना (उधार राशि) हैं ओर न ही इनसे कोई रजिंश है। मैं उक्त भ्रष्ट कार्मिकों को रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हुं। अतः उचित कानुनी कार्यवाही करने की कृपा करे। 23/03/2022 अगुष्ठ निशान ख्यालीराम भवदीय नाम ख्यालीराम यादव S./. उमराव यादव निवासी–ढाणी चोलावा जीणगोर, दयारिकपुरा कोटपुतली जयपुर राजस्थान MO- 9001823341 एसडी/– रामनिवास यादव S./. स्व श्री महादेव प्रसाद यादव खड़ण–नारेहड़ा कोटपुतली मो.9928788440" आदि पर अपने कार्यालय कक्ष में लाकर परिवादी से मजीद दरियाफ्त पर प्रार्थना पत्र रामनिवास यादव के हस्तलेख से लिखा होना बताकर प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुनरावृत्ति की। मामला रिश्वत मांग का होने से सत्यापन रिश्वत मांग करवाना उचित प्रतीत होता है। श्री पन्नालाल कानि. को तलब कर परिवादीगण से परिचय आपस में करवाया। आलमारी में सुरक्षित रखे वॉईस रिकॉर्डर श्री पन्नालाल से मंगवाकर खाली होना सुनिश्चत किया। परिवादी श्री ख्यालीराम ने कल रिश्वत मांग सत्यापन के लिए जे.ई.एन. के पास जाना कहा तो श्री पन्नालाल कानि. को व परिवादीगण को वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द किया जाकर श्री पन्नालाल कानि. को परिवादी से सम्पर्क कर कल रिश्वत मांग सत्यापन के लिए पाबन्द किया गया। गोपनीयता की हिदायत कर सभी को रूखसत किया। दिनांक 24.03.2022 को श्री पन्नालाल कानि. उपस्थित ब्यूरो कार्यालय आया व बताया कि मैं आज सुबह 5 ए.एम पर आपके निर्देशानुसार परिवादी से सम्पर्क कर परिवादी के बतायेनुसार जयपुर से

रवाना होकर मय डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के पावटा पहुँच परिवादी से सम्पर्क किया तो परिवादी ने बताया कि जे.ई.न. साहब से बात हुई है, उन्होंने 10 बजे मुझे नरेड़ा अपने कार्यालय में बलाया है, जिस पर मैं व परिवादी पावटा से रवाना होकर नारेहड़ा बिजली विभाग के जे.ईएन. कार्यालय पर पहुंचे परिवादी ने पुनःजे.ई.एन. से सम्पर्क किया तो जे.ई.एन. ने परिवादी से कहा कि अभी हमारे मार्च माह का अन्तिम समय चल रहा है, जिसमें हमको क्लोजिंग व रिकवरी करने में समय लगेगा आप 30–31 मार्च बाद में मेरे से सम्पर्क करना। जिस पर मैं नारेहड़ा से रवाना होकर उपस्थित कार्यालय आया। मन् निरीक्षक पुलिस ने श्री पन्नालाल कानि. को गोपनीयता व परिवादी से सम्पर्क में रहने की हिदायत मुनासिब की गई। दिनांक 12.04.2022 को श्री पन्नालाल कानि. मन् पुलिस निरीक्षक के कार्यालय कक्ष में उपस्थित आया व बताया कि मेरे पास श्री रामनिवास के मोबाईल फोन से ख्यालीराम का कॉल आया है व ख्यालीराम ने बताया कि जे.ई.एन. साहब ने कल बैठकर बात करने के लिए बुलाया है और डिमाण्ड नोटिस की राशि करीब एक लाख पच्चीस हजार रूपये व 20–25 हजार रूपये उपर के मंगाये हैं। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने कार्यालय की अलमारी से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर निकलवा कर खाली होना सुनिश्चत कर श्री पन्नालाल कानि. को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर सुपुर्द कर कल दिनांक 13.04.2022 को परिवादी से सम्पर्क कर रिश्वत मांग सत्यापन करवाने की हिदायत मुनासिब की गई। दिनांक 13.04.2022 को श्री पन्नालाल कानि.09 उपस्थित कार्यालय आया व बंद डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर सुपुर्द कर बताया की मैं आज सुबह 07.00 एएम पर जयपुर से रवाना होकर नारेहड़ा बस स्टैण्ड पर पहुंचा तो परिवादी श्री ख्यालीराम अपने एक अन्य साथी श्री राम कुमार यादव के साथ उपस्थित मिले। श्री ख्यालीराम ने बताया कि श्री रामकुमार यादव मेरा डोला का सीरी(खेत पडौसी) हैं। परिवादी श्री ख्यालीराम को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर चालू एवं बंद करने की प्रक्रिया समझाईस की जाकर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर चालु कर परिवादी श्री ख्यालीराम को सुपुर्द कर हिदायत मुनासिब की गई। तत्पश्चात नारेहड़ा बस स्टैण्ड से मैं, परिवादी श्री ख्यालीराम व श्री राम कुमार यादव रवाना होकर बिजली विभाग नारेहड़ा के जे.ईन. कार्यालय के बाहर पहुंचे, मैंने परिवादी श्री ख्यालीराम व श्री रामकुमार यादव को संदिग्ध अधिकारी से वार्ता करने उनके कार्यालय के अन्दर रवाना कर मैं बिजली विभाग के जे.ईन. कार्यालय के बाहर ही परिवादीगण का इन्तजार करने हेतु अपनी उपस्थिती छुपाते हुये मुकिम हुआ। कुछ समय पश्चात परिवादीगण श्री ख्यालीराम व श्री राम कुमार यादव जे.ईन. कार्यालय के बाहर मेरे पास आकर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर सुपुर्द किया जिसको मेरे द्वारा बंद कर सुरक्षित मेरे पास रखा। परिवादी श्री ख्यालीराम ने बताया कि " मैं व श्री रामकुमार यादव आपके पास से रवाना होकर बिजली विभाग के जे.ईन श्री नरेन्द्र बाकोलिया के कार्यालय में जाकर जे.ई.एन. श्री नरेन्द्र बाकोलिया से मिले तो जे.ईएन. साहब ने मेरी खातेदारी जमीन में बोरिंग में बिजली का कनेक्शन लेनें के लिए मेरे डिमाण्ड नोटिस की राशि एक लाख पच्चीस हजार रूपये के अतिरिक्त 20 हजार रूपये की मांग की है तथा मैंने मेरे कृषि कनेक्शन की डिमाण्ड राशि एक लाख पच्चीस हजार रूपये जे.ई.एन साहब को जमा करा दी, जे.ई.एन. साहब ने मेरे कृषि कनेक्शन का काम पुरा करने के पश्चात मेरे से 20 हजार रूपये अलग से देने की बात कही है।" जिसके बाद मैंने आप से सम्पर्क किया व आपके निर्देशानुसार परिवादीगण को गोपनीयता बरतने की हिदायत कर नारेहड़ा से रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया। इस पर मन पुलिस निरीक्षक ने श्री पन्नालाल कानि0 09 द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता को सरसरी

तौर पर सुनने पर श्री पन्नालाल कानि. के द्वारा बताई गई बातों की ताईद होती है तथा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को सुरक्षित कार्यालय की आलमारी में मन् निरीक्षक द्वारा रखा गया, श्री पन्नालाल को आईन्दा परिवादी द्वारा सम्पर्क करने पर तुरन्त अवगत करवाने की हिदायत की गई। आईन्दा मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट नियमानुसार पृथक से तैयार की जावेगी। दिनांक 20.04.2022 को मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी से जरिये मोबाईल फोन सम्पर्क किया तो परिवादी ने बताया की अभी आंधी व अधंड़ के कारण पोल खींचने में टाईम लगने की संभावना है तथा मेरे से जे.ई.एन. ने सम्पर्क नहीं किया है, जैसे ही मेरे से जे.ई.एन. सम्पर्क करेगा तो मैं आपको बता दुंगा। दिनांक 21.04.2022 को मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी के साथी श्री रामकुमार यादव से जरिये मोबाईल फोन सम्पर्क किया तो परिवादी ने बताया की जे.ई.एन. ने कहा हैं कि मैं सारा काम एक–दो दिन में पुरा करवा दूंगा और पैसे तैयार रखना, मेरा आदमी ले आयेगा। जिस पर मुझ पुलिस निरीक्षक ने परिवादी को काम पूरा होने पर संदिग्ध अधिकारी द्वारा ली जाने वाली रिश्वती राशि सुपुर्द करने से पहले तुरन्त मन् पुलिस निरीक्षक को सुचित कर ट्रेप कार्यवाही से पूर्व की जानी वाली प्रकिया हेतु ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आने व गोपनीयता बरतने की हिदायत मुनासिब की गई। दिनांक 26.04.2022 को श्री पन्ना लाल कानि0 09 ने मन् पुलिस निरीक्षक को अवगत करवाया कि परिवादी श्री ख्यालीराम यादव ने जरिये दूरभाष मुझे बताया हैं कि संदिग्ध अधिकारी का आज मेरे पास फोन आया हैं जो स्वयं या अपने किसी परिचित को रिश्वत की राशि लेने हेतु मेरे पास भेजेगा या मुझे बुलायेगा। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने श्री पन्नालाल को निर्देशित किया कि परिवादी द्वारा संदिग्ध अधिकारी को दी जाने वाली रिश्वती राशि की व्यवस्था कर तुरन्त ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आने की हिदायत करें एवं चौकी हाजा द्वारा गोपनीय कार्यवाही हेतु पूर्व से पाबंद किये हुए स्वतंत्र गवाहान श्री संजय कुमार जैन एवं श्री दीपक कुमार विजय को भी तुरन्त ब्यूरो मुख्यालय पहुंचने की हिदायत करें। तत्पश्चात श्री पन्नालाल ने जरिये मोबाइल मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि मैंने दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री संजय कुमार जैन व श्री दीपक कुमार विजय एवं परिवादी एवं उसके साथी रामकुमार यादव को ब्यूरो कार्यालय आने की हिदायत कर दी हैं। कुछ समय पश्चात दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री संजय कुमार जैन व श्री दीपक कुमार विजय उपस्थित ब्यूरो कार्यालय आये जिनको ब्यूरो कार्यालय में बिठाया गया। समय 12.05 पी.एम परिवादी श्री ख्यालीराम एवं उसके साथी रामकुमार यादव को ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आये जिन्हे कार्यालय कक्ष में बैठाया जाकर परिवादी श्री ख्यालीराम व उसके साथी रामकुमार यादव का स्वतंत्र गवाहान श्री संजय कुमार जैन व श्री दीपक कुमार विजय से आपस में परिचय करवाया गया व परिवादी का प्रार्थना पत्र गवाहान को पढकर सुनाया जाकर अंकित तथ्यों के बारे में बताया गया व उक्त दोनों गवाह को उक्त कार्यवाही में गवाह बनने के लिए कहा गया तो उक्त दोनों गवाहान ने गोपनीय कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह बनने की पृथक–पृथक सहमति प्रदान की गई तथा परिवादी के प्रार्थना पत्र पर उक्त दोनों गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 12.15 पी.एम.पर परिवादी श्री ख्यालीराम ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि अभी मेरे घर से मैसेज आया है तथा मेरे घरवालों ने बताया है कि संदिग्ध आरोपी आज मेरा काम करने के लिये नहीं आयेगा, क्योकि संदिग्ध अधिकारी ने कहा कि आज मेरे कोई काम है इसलिए मैं आज नहीं आ पाउंगा आप कल पैसे कि व्यवस्था रखना मैं कल आपका काम कर दुंगा तथा परिवादी ने यह भी बताया कि जैसे ही मेरा काम पुरा करेगा या काम करने के लिए आने के बाद संदिग्ध अधिकारी या उसका आदमी रिश्वत राशि की मांग कर रिश्वती राशि मौके पर ही प्राप्त करेगा। जिस पर परिवादी व उसके साथी श्री रामकुमार यादव को कल दिनांक 27.04.2022 को

संदिग्ध अधिकारी को दी जाने वाली रिश्वती राशि की व्यवस्था करने तथा गोपनीयता बरतने की मुनासिब हिदायत दी जाकर रूखसत किया गया तथा मन् पुलिस निरीक्षक के पास अन्य गोपनीय कार्यवाही होने के कारण स्वतंत्र गवाहान श्री संजय कुमार जैन व श्री दीपक कुमार विजय को उक्त गोपनीय कार्यवाही की गोपनीयता बरतने की हिदायत कर कार्यालय में ही उपस्थित रहने के निर्देश दिये गये।दिनांक 27.04.2022 को समय 10.00 ए.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक कार्यालय उपस्थित आया। दर्ज रहे कि आज सुबह 08.50 एएम पर श्री राम निवास यादव का फोन मेरे फोन पर आया जिसने बताया कि आज श्री ख्यालीराम के खेत पर बिजली कनेक्शन करने एवं श्री ख्यालीराम को यहीं पर उपस्थित रहने के लिये जे.ई.एन साहब ने कहा है ओर काम करने के बाद में जे.ई.एन साहब के कहेअनुसार उसका कोई आदमी बाकी के बचे बीस हजार रूपये जे.ई.एन साहब के लिये लेगा। पूर्व के पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाहान श्री संजय कुमार जैन व श्री दीपक कुमार विजय तथा ट्रेप पार्टी सदस्य भी उपस्थित कार्यालय हैं। जिस पर मन पुलिस निरीक्षक ने रिश्वत राशि मांग सत्यापन के वक्त काम लिया गया विभागीय डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर जिसमें रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्डिंग सेव हैं को मेरे कार्यालय कक्ष की अलमारी में सुरक्षित रखा गया था को बाहर निकालकर डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को चालू कर विभागीय लैपटॉप से जोड़कर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में होना सुनिश्चत कर डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को लैपटॉप से निकालकर बंद कर डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को ट्रेप बॉक्स में सुरक्षित रखवाया गया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा ट्रेप कार्यवाही का आयोजन कर हालात उच्च अधिकारियों को निवेदन कर कार्यालय की अलमारी से फिनाफ्थलीन पाउडर की शीशी श्री विनोद कुमार कानि. 242 से सुरक्षित बाहर निकलवाकर एक प्लास्टिक की थैली में सुरक्षित रखवायी गई। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक मय श्री पन्नालाल कानि. 09, श्री विनोद कुमार कानि. 242, श्री अमित ढाका कानि.489, श्री दिलावर खान कानि.246, श्री रमजान अली कानि0 466 मय स्वतंत्र गवाहान श्री संजय कुमार जैन एवं श्री दीपक कुमार विजय के मय सरकारी वाहन तथा ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर के ब्यूरो कार्यालय से परिवादी के बताये गये स्थान नारहेड़ा कोटपुतली को रवाना हुआ। समय 12.40.पी.एम.पर मन् पुलिस निरीक्षक मय श्री पन्नालाल कानि. 09, श्री विनोद कुमार कानि. 242, श्री अमित ढाका कानि.489, श्री दिलावर खान कानि.246, श्री रमजान अली कानि0 466 मय स्वतंत्र गवाहान श्री संजय कुमार जैन एवं श्री दीपक कुमार विजय के मय सरकारी वाहन तथा ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर के ब्यूरो कार्यालय से फिगरा उपरोक्त का रवानाशुदा परिवादी के बताये गये स्थान नारहेड़ा बस स्टैण्ड के पास पावटा जाने वाली सड़क पर सहपरिवादी श्री रामनिवास यादव के घर के बाहर पहुँच गाडी को साईड में लगा कर परिवादी के घर के बाहर बनी दुकान पर पहुँचा तो परिवादी श्री ख्यालीराम सहपरिवादी श्री रामनिवास यादव व परिवादी का साथी श्री रामकुमार यादव सह परिवादी के घर के बाहर बनी दुकान में उपस्थित मिले। परिवादी श्री ख्यालीराम ने बताया कि जईएन साहब ने मेरे खेत में बनी बोरिंग के बिजली कनेक्शन हेतु अभी थोडी देर पहले टीम खेत पर भेजी है, इसलिए आप थोड़ी देर यहीं रूको में व मेरा दोस्त रामकुमार यादव विधुत कनेक्शन गई हुई टीम को मेरे खेत में विधुत कनेक्शन हेतु बिजली के पोल गाड़ने हेतु छोड़कर आते है, यदि मैं मौके पर नहीं मिला तो उनको शक हो जायेगा। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी व उसके साथी को परिवादी के खेत को रवाना कर बिजली विभाग की टीम को काम पर लगवाकर तुरन्त वापिस आने व गोपनीयता बरतने की हिदायत

मुनासिब कर रवाना किया तथा मन् पुलिस निरीक्षक मय ट्रेप टीम सह परिवादी की दुकान के अन्दर अपनी–अपनी उपस्थिती छुपाते हुए मुकीम रहे। समय 02.15 पी.एम. पर परिवादी श्री ख्यालीराम व उसका साथी श्री रामकुमार यादव उपथित आये व बताया कि मैं व रामकुमार यादव मेरे खेत पर पहुंचे तब विधुत विभाग की टीम मेरे खेत पर पहुँच चुकी थी जिसको मैंने काम पर लगवाकर वापिस आया हुँ। इस समय उपरोक्त स्वतंत्र मौतबिरान के समक्ष परिवादी श्री ख्यालीराम यादव पुत्र श्री उमराव यादव निवासी–ढाणी चोलावा जीणगोर, द्वारिकपुरा कोटपुतली जयपुर को दिनांक 13.04.2022 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के मुताबिक संदिग्ध आरोपी श्री नरेन्द्र बाकोलिया को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने के संबंध में कहा गया तो परिवादी ने अपने पास से संदिग्ध अधिकारी को दी जाने वाली रिश्वती राशि 20,000/–रूपये जिनमें से पांच–पांच सौ रूपये के 40 नोट कुल बीस हजार रूपये निकाल कर मन् निरीक्षक पुलिस को पेश किये। रिश्वत राशि के रूप में दिये जाने वाले नोटों के नम्बरो का विवरण अंकित कर पृथक से फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट व दृष्टांत फिनोफ्थलीन पाउडर एंव सोडियम कार्बोनेट पाउडर तथा सुपुर्दगी डिजीटल वॉयस रिकार्डर तैयार की गई।

तत्पश्चात समय 02.45 पीएम पर परिवादी श्री ख्यालीराम व उसके दोस्त श्री रामकुमार यादव को सह परिवादी श्री रामनिवास यादव के घर के बाहर बनी दुकान से परिवादी के दोस्त श्री रामकुमार की मोटर साईकिल पर गांव जिणगौर को रवाना कर मन् पुलिस निरीक्षक मय श्री अमित ढाका कानि.489, श्री दिलावर खान कानि.246, श्री रमजान अली कानि0 466 मय स्वतंत्र गवाहान श्री संजय कुमार जैन एवं श्री दीपक कुमार विजय के मय सरकारी वाहन मय चालक श्री पन्नालाल कानि. 09 तथा ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर के परिवादी व उसके दोस्त की पीछे पीछे गांव जीणगौर को रवाना होकर गांव जीणगौर के बस स्टैण्ड पर पहुंचा, जहां पर पूर्व से सह परिवादी के घर के बाहर बनी दुकान से रवानाशुदा परिवादी श्री ख्यालीराम, परिवादी का साथी श्री रामकुमार यादव मोटर साईकिल से रवानाशुदा सड़क पर उपस्थित आये। जहां पर परिवादी श्री ख्यालीराम ने मन् निरीक्षक पुलिस को बताया कि यहीं पास में मेरा मकान है जहां पर संदिग्ध आरोपी के कर्मचारी काम कर रहे है। संदिग्ध अधिकारी मौके पर नहीं है तथा उसके कर्मचारी मौके पर मेरे खेत में विधुत लाईन का काम कर रहे हैं, संदिग्ध अधिकारी कभी भी आकर रिश्वत राशि की मांग कर सकता है या वह अपने कर्मचारी को भी रिश्वत राशि लेने के लिये बोल सकता है, तब संदिग्ध अधिकारी या उसका आदमी मेरे से मेरे निवास स्थान पर ही रिश्वत प्राप्त करेगा। जिस पर परिवादी को पुनः डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के संचालन की प्रकिया की आवश्यक समझाईस की जाकर संदिग्ध आरोपी से वार्ता कर होने वाली वार्ता को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करने तथा संदिग्ध अधिकारी द्वारा मांगने पर उक्त रिश्वती राशि अपने जेब से निकालकर देने तथा संदिग्ध अधिकारी को रिश्वत राशि देने के बाद मन् निरीक्षक पुलिस मय जाब्ता को पूर्व निर्धारित ईशारा करने की हिदायत कर परिवादी के निवास स्थान पर रवाना किया गया। मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान के परिवादी के घर के सामने की सड़क पर परिवादी के ईशारे के इंतजार में मुकीम हुआ। परिवादी श्री ख्यालीराम द्वारा समय करीब 06.25 पीएम पर मुझ पुलिस निरीक्षक को पूर्व निर्धारित हाथ का ईशारा किया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने समस्त जाब्ते को जरिये दूरभाष सूचित कर/ हाथ से ईशारा कर तुरन्त प्रभाव से परिवादी के निवास स्थान पर पहुंचने की हिदायत कर मन् निरीक्षक पुलिस मय जाब्ता भी घटनास्थल परिवादी के निवास स्थान हेतु रवाना होकर समय 06.26 पी.एम. पर घटनास्थल परिवादी का निवास

स्थान के मेन गेट पर पहुंचा, जहां पर तलबिदा जाब्ता भी उपस्थित आया। जहां मुख्य दरवाजे पर ही परिवादी श्री ख्यालीराम व उसका साथी श्री रामकुमार यादव उपस्थित मिला। जिससे पूर्व में सुपुर्दशुदा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने बताया कि संदिग्ध अधिकारी के कर्मचारी श्री अजय कुमार सैनी उर्फ चिन्टु व उसका साथी श्री कैलाश कुमार सैनी मेरे घर के बाहर बने बैठक में बैठे हैं। संदिग्ध अधिकारी के कर्मचारी श्री अजय कुमार सैनी उर्फ चिन्टु आज दिन में मेरे खेत में बने बोरिंग में बिजली कनेक्शन हेतु पोल खड़े करके बिजली सप्लाई चालु करके मेरे घर पर आकर अपने ठेकेदार व जेईएन से बात कर मेरे खेत में बने बोरिंग में बिजली सप्लाई चालू करने की एवज में मुझसे पूर्व में की गई रिश्वत मांग के अनुशरण में पुनः रिश्वत की मांग कर कहा कि आपका काम कर दिया है। जिस पर मैंने इसी कमरे में श्री अजय कुमार सैनी उर्फ चिन्टु को फिनॉफ्थलीन पावडर युक्त राशि अपने जेब से निकालकर दिये। जिस पर श्री अजय कुमार सैनी उर्फ चिन्टु ने उक्त राशि को अपने दोनों हाथों में लेकर गिनकर 20,000/– रूपये अपनी स्वयं के पहनी हुई शर्ट की सामने की बांयी जेब में रख लिये। तत्पश्चात उक्त कमरे में बैठे व्यक्तियों को मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वतंत्र गवाहान के समक्ष अपना एवं हमराहियान का परिचय देते हुये अपने आने का प्रयोजन बताकर प्रथम व्यक्ति को नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री अजय कुमार सैनी उर्फ चिन्टु पुत्र श्री जयराम सैनी जाति माली उम्र–26 साल, निवासी ढाणी भौजासवाली गांव व पुलिस थाना सरूण्ड तहसील कोटपुतली जिला जयपुर ग्रामीण तथा दुसरे व्यक्ति ने अपना नाम श्री कैलाश चंद सैनी पुत्र श्री तेजाराम सैनी जाति माली उम्र–50 साल निवासी ढाणी दौला, गांव खड़ब, पुलिस थाना सरूण्ड तहसील कोटपुतली जिला जयपुर ग्रामीण होना बताया। चूंकि परिवादी ने रिश्वती राशि संदिग्ध अधिकारी श्री नरेन्द्र बाकोलिया व अपने ठेकेदार श्री रघुवीर सिंह मीणा के कहे अनुसार श्री अजय कुमार सैनी उर्फ चिन्टु को ही दी जाना बताया गया है। चूंकि परिवादी से रिश्वती राशि आरोपी श्री अजय कुमार सैनी उर्फ चिन्टू ने प्राप्त की है। इसलिये हमराहियान जाब्ते में से श्री पन्नालाल कानि0 को आरोपी श्री अजय कुमार सैनी उर्फ चिन्टु का बायां हाथ तथा श्री दिलावर खान कानि0 246 को संदिग्ध श्री अजय कुमार सैनी उर्फ चिन्टु का दायां हाथ पकड़वाकर आवश्यक हिदायत की। तत्पश्चात श्री अजय कुमार सैनी उर्फ चिन्टु को परिवादी श्री ख्यालीराम से अभी–अभी प्राप्त की गई रिश्वती राशि के बारे में पूछा गया तो संदिग्ध श्री अजय कुमार ने स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में परिवादी से किसी प्रकार की रिश्वत लेने से इंकार करते हुये बताया कि मैंने श्री ख्यालीराम से कोई रिश्वत नहीं ली है। जिस पर मौके पर उपस्थित परिवादी श्री ख्यालीराम से पूछा गया तो परिवादी ने बताया कि आज दिन में श्री अजय कुमार सैनी उर्फ चिन्टू ने अपने मोबाईल फोन से मेरी ठेकेदार श्री रघुवीर सिंह मीणा से बात करवाई थी, जिसमें ठेकेदार ने मुझसे संदिग्ध अधिकारी श्री नरेन्द्र बाकोलिया, कनिष्ठ अभियंता, ओ एण्ड एम, पनियाला हाल अतिरिक्त चार्ज नारेहडा, कोटपूतली, जयपुर द्वारा बताई गई उक्त रिश्वत राशि की मांग कर रिश्वत राशि श्री अजय कुमार उर्फ चिन्टू को देने की बात कही थी। उसी समय मेरी संदिग्ध अधिकारी श्री नरेन्द्र बाकोलिया, कनिष्ठ अभियंता, ओ एण्ड एम, पनियाला हाल अतिरिक्त चार्ज नारेहडा, कोटपूतली, जयपुर से बात हुई तो उन्होंने भी रिश्वत राशि की मांग कर रिश्वत राशि श्री रघुवीर सिंह मीणा के मौके पर कार्य कर रहे कर्मचारी श्री अजय कुमार उर्फ चिन्टू को देने की बात कही थी। उक्त दोनों ने मुझसे बात कर श्री अजय कुमार सैनी उर्फ चिन्टू को रिश्वती राशि बीस हजार देने के लिये कहा

था। उनके कहें अनुसार ही संदिग्ध श्री अजय कुमार अभी मेरे घर पर रिश्वत राशि लेने के लिये आया था तथा इसके द्वारा रिश्वत मांगने पर ही मैनें उक्त रिश्वत राशि अपने जेब से निकालकर उसको दी है जिसे इसने अपने हाथों में लेकर गिनकर अपनी पहनी हुई शर्ट के बांयी जेब में रखी है। तत्पश्चात मौके पर उपस्थित श्री अजय कुमार उर्फ चिन्टू से पूछने पर उसने बताया कि आज शाम को करीब छः बजे श्री ख्यालीराम मेरे पास आये थे तब मैंने इनकी बात मेरे ठेकेदार श्री रघुवीर सिंह मीणा से करवाई थी तथा श्री रघुवीर सिंह मीणा ने मुझे कहा था कि श्री ख्यालीराम के बोरिंग में विधुत कनेक्शन करने की एवज में इनसे 20,000/– रूपये ले लेना, इनसे मेरी तथा जेईएन साहब की बात हो चुकी है। तब मैंने मेरे ठेकेदार के कहे अनुसार इनसे अभी 20,000/– रूपये श्री ख्यालीराम से प्राप्त किये है। जो मेरी जेब में रखे हुये है। तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस ने श्री अजय कुमार उर्फ चिन्टू को परिवादी के बोरिंग में विद्युत कनेक्शन लगवाने की एवज मे देय कोई फिस/चार्ज आदि के बारे में पूछा तो उसने कोई जबाव नहीं दिया। परिवादी ने बताया कि जिस समय श्री अजय कुमार सैनी उर्फ चिन्टु ने मुझे संदिग्ध अधिकारी से अपने मोबाईल पर बात करवाई तो मैं जल्दबाजी में डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर चालू नहीं कर सका। कुछ समय पश्चात मैं डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर चालू कर मैंने संदिग्ध अधिकारी श्री नरेन्द्र बाकोलिया के कहे अनुसार मेरे खेत में बने बोरिंग में विधुत कनेक्शन करने की एवज में मैंने श्री रामकुमार यादव व श्री कैलाश चंद सैनी के सामने 20,000/–रूपये (फिनॉफ्थलीन पावडर युक्त राशि) श्री अजय कुमार सैनी उर्फ चिन्टु को दे दी। तत्पश्चात मौके पर उपस्थित दूसरे व्यक्ति श्री कैलाश चन्द्र सैनी से परिवादी तथा आरोपी श्री अजय कुमार सैनी उर्फ चिन्टू के मध्य हुई रिश्वत राशि लेन–देन के सम्बंध में पूछा गया तो श्री कैलाश चन्द्र सैनी ने बताया कि मैं तथा अजय कुमार सैनी दोनों ही ठेकेदार श्री रघुवीर सिंह मीणा के साथ काम करते है। आज हम दोनों श्री ख्यालीराम के खेत में बोंरिंग पर लाईन डाल रहे थे। काम पूरा होने के बाद श्री अजय कुमार सैनी उर्फ चिन्टू ने मेरे को कहा कि चलो अब ख्यालीराम के घर पर चलकर चाय पीते है, फिर हम दोनों ख्यालीराम के घर पर जाकर बैठक में बैठ गये जहां पर श्री अजय कुमार सैनी तथा श्री ख्यालीराम ने दोनों ने आपस में बातचीत की तथा ख्यालीराम ने अजय कुमार सैनी उर्फ चिन्टू को पैसे कम होना बताकर कुछ पैसे श्री अजय कुमार सैनी उर्फ चिन्टू को दिये थे जिसे अजय कुमार सैनी उर्फ चिन्टू ने गिनकर अपने पहने हुये शर्ट के बायीं जेब में रख लिये थे। परिवादी से रिश्वत राशि प्राप्त करने में सदिग्ध अधिकारी श्री नरेन्द्र बाकोलिया तथा ठेकेदार श्री रघुवीर सिंह मीणा तथा आरोपी श्री अजय कुमार सैनी उर्फ चिन्टू की आपसी मिलीभगत होने से मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी श्री अजय कुमार सैनी उर्फ चिन्टु के मोबाईल फोन से संदिग्ध आरोपी श्री नरेन्द्र बाकोलिया, कनिष्ठ अभियन्ता के मोबाईल फोन पर वार्ता करवायी गई तो संदिग्ध अधिकारी श्री नरेन्द्र बाकोलिया, कनिष्ठ अभियन्ता ने श्री अजय कुमार सैनी को पहचानने से अनजान बनते हुए आवाज स्पष्ट नहीं आने की कहकर फोन काट दिया। श्री अजय कुमार सैनी उर्फ चिन्टु से इस बाबत पूछा गया तो श्री अजय कुमार सैनी उर्फ चिन्टु ने बताया कि जेईएन साहब मेरे को चिन्टु नाम से जानते हैं तथा आज भी उन्होंने मेरे से सीधे मोबाईल फोन पर बात नहीं कर मेरे ठेकेदार श्री रघुवीर सिंह मीणा के मोबाईल से कान्फ्रेस के माध्यम से वार्ता कर मुझे श्री ख्यालीराम से उनके बोरिंग पर किये गये विधुत कनेक्शन करने की एवज में 20,000/–रूपये लेने की बात कही थी। तत्पश्चात डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता को स्वतंत्र गवाहान के समक्ष सरसरी तोर पर चलाकर सुना

गया तो परिवादी द्वारा बताये गये कथनों की पुष्टि होकर आरोपी श्री अजय कुमार सैनी उर्फ चिन्टु द्वारा रिश्वत की राशि प्राप्त करने की पुष्टि हुई। परिवादी से उसके कार्य के एवज में आरोपी श्री अजय कुमार सैनी उर्फ चिन्टु द्वारा स्वयं तथा संदिग्ध अधिकारी श्री नरेन्द्र बाकोलिया तथा ठेकेदार श्री रघुवीर सिंह मीणा के लिये रिश्वत प्राप्त करना स्पष्ट होता है। चूंकि परिवादी श्री ख्यालीराम ने फिनॉफ्थलीन पावडर युक्त रिश्वती राशि 20,000/– रूपये आरोपी श्री अजय कुमार सैनी उर्फ चिन्टु को देना व आरोपी श्री अजय कुमार सैनी उर्फ चिन्टु द्वारा रिश्वत राशि हाथ में लेना अवगत कराया गया है। इस पर परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों की पुष्टि हेतु एक प्लास्टिक की बोतल में पीने का स्वच्छ पानी मंगवाया जाकर दो साफ कांच के गिलासो में भरकर उनमें एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर प्रक्रियानुसार मिश्रण तैयार कर उपस्थितगणों को दिखाया गया। मौके पर उपस्थित सभी ने उक्त मिश्रण को रंगहीन होना बताया। इसके बाद एक गिलास के मिश्रण में आरोपी श्री अजय कुमार सैनी उर्फ चिन्टु के दाहिने हाथ की अगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवण का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो गया, जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा भरकर सील मोहर कर चिटचस्पा कर मार्क R–1 व R–2 से चिन्हित कर संबंधित के हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान करवाये गये। इस प्रकार दूसरे गिलास के तैयारशुदा मिश्रण में आरोपी श्री अजय कुमार सैनी उर्फ चिन्टु के बांये हाथ की अगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवण का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो गया, जिसे भी दो साफ कांच की शिशियों में आधा--आधा भरकर सीलचिट कर मार्क L–1 व L–2 से चिन्हित कर संबंधित के हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान करवाये जाकर बाद शील्डमोंहर कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद स्वतंत्र गवाह श्री दीपक कुमार विजय से आरोपी श्री अजय कुमार सैनी की जामा तलाशी लिवाई गई तो आरोपी श्री अजय कुमार सैनी के पास एक मोबाईल रेडमी कम्पनी का बरंग स्काई ब्लू तथा एक टेक्टर की चाबी मिली, उक्त ट्रेक्टर की चाबी श्री कैंलाश चन्द्र सैनी को सुपुर्द की गई। जामा तलाशी में आरोपी श्री अजय कुमार सैनी उर्फ चिन्टु के पहनी हुई शर्ट के सामने की बांयी जेब से 500–500 रूपये के नोट बरामद हुये, जिनको स्वतंत्र गवाह से गिनवाया गया तो कुल 40 नोट कुल 20,000/– रूपये बरामद हुये। जिनको दोनों स्वतंत्र गवाहान से चैक करवाकर उक्त नोटों के नम्बरो का मिलान फर्द सुपुर्दगी नोट में अंकित नम्बरों से करवाया गया तो सभी नोटों के नम्बर हूबहू पाये गये।

तत्पश्चात आरोपी श्री अजय कुमार सैनी उर्फ चिन्टु के पहनी हुई शर्ट के सामने के बांयी जेब से बरामदशुदा रिश्वती राशि 20,000/–रू0 को एक कागज की चिट में सिलकर सीलमोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री अजय कुमार सैनी उर्फ चिन्टु के लिये दूसरी शर्ट की व्यवस्था कर आरोपी की पहनी हुई शर्ट को उतरवाया जाकर शर्ट पहनायी गयी। तत्पश्चात एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डालकर घोल तैयार करवाया गया, जिसका रंग अपरिवर्तित रहा, उक्त घोल को हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त कांच के गिलास के घोल में आरोपी श्री अजय कुमार सैनी उर्फ चिन्टु की उतरवायी गई शर्ट की बांयी जेब को उलटवाकर गिलास में सोडियम कार्बोनेट के तैयार घोल में डूबोकर धोवन लिया गया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया। जिसे भी दो साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा

भरकर सीलचीट चस्पा कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान करवाकर मार्क S–1, S–2 अंकित किया गया। उसके बाद आरोपी की शर्ट की बांयी जेब को सुखाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान करवाकर शर्ट को एक कपड़े की थैली में सीलमोहर कर मार्क 'S' अंकित कर पैकेट पर भी सम्बन्धितों के हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों से आरोपीगण श्री अजय कुमार सैनी उर्फ चिन्टू पुत्र जयराम सैनी जाति माली, उम्र– 26 साल, निवासी– ढाणी भौजासवाली गांव व पुलिस थाना सरूण्ड तह0 कोटपूतली जिला जयपुर, आरोपी श्री नरेन्द्र बोकोलिया एवं श्री रघुवीर सिंह मीणा द्वारा आपसी मिलीभगत कर परिवादी श्री ख्यालीराम के खेत पर बने बोरिंग में विधुत कनेक्शन करने की एवज बतौर रिश्वत वैद्य पारिश्रमिक से भिन्न अवैद्य पारितोषण अनुचित मांग कर उक्त मांग के अनुशरण में आज दिनांक 27.04.2022 को 20,000/–रूपये रिश्वत राशि आरोपी श्री अजय कुमार सैनी उर्फ द्वारा स्वयं तथा संदिग्ध अधिकारी श्री नरेन्द्र बाकोलिया एवं ठेकेदार श्री रघुवीर सिंह मीणा के लिये प्राप्त कर रिश्वत राशि को अपने दोनों हाथों में गिनकर अपने पहनी हुई शर्ट की बांयी जेब में रखना पाया गया, जहां से वरवक्त कार्यवाही रिश्वत राशि बरामद होना पाया जाने व आरोपी श्री अजय कुमार सैनी उर्फ चिन्टु के दोनो हाथों की अंगुलिया व अंगुठे एवं पहनी हुई शर्ट के बांयी जेब के धोवन का मिश्रण गुलाबी होने से आरोपी श्री अजय कुमार सैनी उर्फ चिन्टू पुत्र जयराम सैनी जाति माली, उम्र– 26 साल, निवासी– ढाणी भौजासवाली गांव व पुलिस थाना सरूण्ड तह0 कोटपूतली जिला जयपुर द्वारा संदिग्ध अधिकारी श्री नरेन्द्र बाकोलिया तथा संदिग्ध ठेकेदार श्री रघुवीर सिंह मीणा से मिलीभगत कर परिवादी श्री ख्यालीराम से उसके बोंरिंग पर विद्युत कनेक्शन करने की एवज में स्वयं के लिये तथा अन्य के लिये 20,000/– रूपये की रिश्वत प्राप्त करना प्रमाणित पाये जाने से आरोपी के विरूद्ध प्रथम दृष्टया अपराध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7ए पीसी एक्ट(संशोधन) 2018 व 120 बी भादस का प्रमाणित पाये जाने से गिरफ्तारी वांछित होने से मौके पर श्री अजय कुमार सैनी उर्फ चिन्टु को जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया गया। मौके पर लोगों की भीड अधिक होने से अग्रिम कार्यवाही की गोपनीयता भंग होने की सम्भावना होने से अब तक की कार्यवाही तथा हालात जरिये दूरभाष उच्चाधिकारियों को निवेदन किये गये तथा उच्चाधिकारियों द्वारा अग्रिम कार्यवाही हेतु निकटवर्ती पुलिस थाना सरूण्ड पहुंचकर नियमानुसार गोपनीयता बरतते हुये अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये गये। तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान जाब्ते, स्वतंत्र गवाहान तथा गिरफतारशुदा आरोपी श्री अजय कुमार सैनी उर्फ चिन्टू मय बरामदा रिश्वत राशि, ट्रेप बॉक्स एवं अन्य साजो सामान के सरकारी वाहन के मौके से रवाना होकर समय 07:20 पीएम पर पुलिस थाना सरूण्ड, जिला जयपुर ग्रामीण पहुंचा।

तत्पश्चात् समय 07:28 पीएम पर गिरफतारशुदा आरोपी श्री अजय कुमार सैनी उर्फ चिन्टू के मोबाईल फोन नम्बर 9660751224 पर संदिग्ध ठेकेदार श्री रघुवीर सिंह मीणा के मोबाईल नम्बर 7891244874 से फोन आया, जिसको देखकर आरोपी श्री अजय कुमार सैनी उर्फ चिन्टू ने बताया कि मेरा ठेकेदार मुझे फोन कर रहा है। तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस से दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी को हिदायत हुई कि उक्त फोन को लाउडस्पीकर मोड पर कर संदिग्ध व्यक्ति से वार्ता करें तथा मन् निरीक्षक पुलिस ने डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को ऑन कर दोनों के मध्य होने वाली वार्ता

को रिकॉर्ड करना प्रारम्भ किया। आरोपी श्री अजय कुमार सैनी उर्फ चिन्टू ने उक्त वार्ता में अपने ठेकेदार को बताया कि श्री ख्यालीराम के खेत में बोरिंग पर विद्युत कनेक्शन का कार्य पूर्ण कर दिया है तथा उसने इसकी एवज में आपके बताये अनुसार 20,000/– रूप्ये दिये है। जिस पर ठेकेदार श्री रघुवीरसिंह ने उक्त रिश्वत राशि 20,000/– रूप्ये अपने होना बताकर अपने पास ही रखने की बात कही। उक्त वार्ता को कार्यालय के डीजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। जिसकी आईन्दा फर्द वार्ता रूपान्तरण तैयार की जायेगी। अब तक की कार्यवाही से संदिग्ध ठेकेदार श्री रघुवीर सिंह मीणा द्वारा भी परिवादी से उसके खेत के बोरिंग पर विद्युत कनेक्शन लगवाने की एवज में संदिग्ध अधिकारी श्री नरेन्द्र बाकोलिया तथा अपने कर्मचारी आरोपी श्री अजय कुमार सैनी उर्फ चिन्टू से अवैध रूप से मिलीभगत कर रिश्वत की मांग कर रिश्वत प्राप्त करना प्रमाणित होता है। इसलिये मामले में गोपनीयता बनाये रखते हुये थानाधिकारी, पुलिस थाना सरूण्ड को जाब्ता उपलब्ध कराने की हिदायत की जाने पर थानाधिकारी द्वारा मन् निरीक्षक पुलिस को जाब्ता उपलब्ध करवाया गया। तत्पश्चात प्रकरण में शेष संदिग्ध अधिकारी श्री नरेन्द्र बाकोलिया तथा श्री रघुवीर सिंह मीणा को दस्तियाब करने के लिये टीमें गठित की जाकर हमराहियान श्री रमजान अली कानि0 466 को संदिग्ध ठेकेदार श्री रघुवीर सिंह को दस्तियाब करने हेतु पुलिस थाना सरूण्ड पर सायंकालीन ड्यूटी में उपस्थित जाब्ते के साथ बाद आश्वयक हिदायत मुनासिब कर रवाना किया गया तथा श्री अमित कुमार कानि0 489 मय स्वतंत्र गवाह श्री दीपक कुमार विजय को गिरफतारशुदा आरोपी श्री अजय कुमार सैनी उर्फ चिन्टू की निगरानी हेतु आवश्यक हिदायत कर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान जाब्ता कानि0 श्री पन्नालाल, दिलावर खान तथा स्वतंत्र गवाहान श्री संजय कुमार जैन को साथ लेकर संदिग्ध अधिकारी श्री नरेन्द्र बाकोलिया को दस्तियाब करने हेतु उसके निवास स्थान ग्राम पोस्ट खेलना, पावटा, जयपुर हेतु रवाना होकर थानाप्रभारी प्रागपुरा श्री राजवीर सिंह, उ0 नि0 से जरिये दूरभाष वार्ता कर पुलिस चौकी पावटा से कानि0 श्री राकेश नम्बर 2272 तथा भीवाराम कानि0 39 को हमराह लेकर संदिग्ध अधिकारी श्री नरेन्द्र बाकोलिया के निवास स्थान हेतु रवाना हुआ। इसी समय कानि0 श्री रमजान अली ने जरिये दूरभाष बताया कि आपके निर्देशानुसार हमने संदिग्ध ठेकेदार श्री रघुवीर सिंह मीणा को उसके घर से दस्तियाब कर लिया है। जिस पर कानि0 श्री रमजान अली को संदिग्ध ठेकेदार श्री रघुवीर सिंह को पुलिस थाना सरूण्ड लेकर जाने की हिदायत की गई। कुछ समय पश्चात समय 08:25 पीएम पर श्री रमजान अली कानि0 466 ने मन् निरीक्षक पुलिस को बताया कि हम संदिग्ध ठेकेदार को लेकर पुलिस थाना सरूण्ड पहुंच गये है तथा संदिग्ध अधिकारी श्री नरेन्द्र बाकोलिया का फोन ठेकेदार श्रीरघुवीर सिंह मीणा के मोबाईल फोन पर लगातार आ रहा है। जिस पर कानि0 को हिदायत हुई कि दोनों संदिग्धों के मध्य होने वाली वार्ता को ट्रेप बॉक्स में सुरक्षित रखें विभागीय डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में नियमानुसार रिकॉर्ड करें। तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस मय जाब्ता के संदिग्ध अधिकारी श्री नरेन्द्र बाकोलिया के निवास स्थान पर पहुंचा, जहां पर संदिग्ध अधिकारी श्री नरेन्द्र बाकोलिया, उसके पिता श्री राजाराम, छोटे भाई शेरसिंह तथा गिर्राज तथा माता श्रीमती रामप्यारी एवं पत्नि श्रीमती उषा बालोठिया उपस्थित मिले, तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा संदिग्ध अधिकारी तथा उसके परिजनों को अपने तथा हमराहियान का परिचय देकर अपने आने के प्रयोजन बताकर परिवादी से रिश्वत मांग के सम्बंध में हुई वार्ता के सम्बंध में पूछा तो उसने बताया कि मैं श्री ख्यालीराम को जानता हूं वह मेरे घर पर पूर्व में विद्युत कनेक्शन के लिये आया था,

जिसका कार्य आज ठेकेदार श्री रघुवीर सिंह मीणा ने कर दिया है। जिस पर संदिग्ध अधिकारी से परिवादी से आज दिनांक को कीगई रिश्वत मांग के सम्बंध में पूछा गया तो संदिग्ध अधिकारी एक बार तो कुछ नहीं बोला फिर तसल्ली पूर्वक पूछा तो उसने बताया मैंने श्री रघुवीर सिंह मीणा को श्री ख्यालीराम के विद्युत कनेक्शन लगाने की एवज में उनसे 20,000/– रूपये लेने के लिये कहा था। तत्पश्चात संदिग्ध अधिकारी को परिवादी श्री ख्यालीराम के विद्युत कनेक्शन लगवाने के लिये कोई फीस/चार्ज के सम्बंध में पूछा तो उसने बताया कि विभाग का डिमांड नोटिस जमा होता है जो ख्यालीराम पूर्व में करवा चुका है अब उसकी तरफ से कोई फीस/चार्ज आदि देय नहीं होता है। तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान जाब्ते तथा दस्तियाबशुदा संदिग्ध अधिकारी श्री नरेन्द्र बाकोलिया को हमराह लेकर समय 09:30 पीएम पुलिस थाना सरूण्ड पहुंचा। जहां पर पूर्व में गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री अजय कुमार सैनी उर्फ चिन्टू तथा दस्तियाबशुदा संदिग्ध ठेकेदार श्री रघुवीर सिंह मीणा उपस्थित मिला। तत्पश्चात श्री रमजान अली कानि0 ने बताया कि आपके निर्देशानुसार मैं मय जाब्ता के संदिग्ध श्री रघुवीर सिंह मीणा के गांव सुकलावास पहुचो, जहां मेन स्टेण्ड पर पता किया तो ज्ञात हुआ कि संदिग्ध श्री रघुवीर सिंह मीणा अपनी कार (ईओन बरंग सफेद) में स्टेण्ड पर ही बैठा हुआ है। जिस पर मैं हमराहियान जाब्ते के साथ सदिग्ध श्री रघुवीर सिंह को अपना तथा हमराहियान का परिचय देकर अपने आने का प्रयोजन बताया तथा कार्यवाही में सहयोग करने की हिदायत कर साथ में पुलिस थाना सरूण्ड चलने हेतु कहा। तत्पश्चात आपके निर्देशानुसार उक्त संदिग्ध को हमराह लेकर उपस्थित आया। जिस पर हमराह दस्तियाब कर लाये गये संदिग्ध अधिकारी श्री नरेन्द्र बाकोलिया को अलग कमरे में बैठाकर जाब्ते को निगरानी हेतु निर्देशित किया गया। मन् निरीक्षक पुलिस ने संदिग्ध श्री रघुवीर सिंह से पूर्ण नाम पता पूछकर पूछताछ की तो बताया कि मुझे श्री नरेन्द्र बाकोलिया जेईएन साहब ने ख्यालीराम के बोरिंग का बिजली कनेक्शन का डिमांड नोटिस की राशि 1,01,500/– रूपये जमा कराने के दिये, जिसे मैंने 25.04.2022को जमा करवा दिया था। आज ख्यालीराम के कनेक्शन पूरा करने के बाद 20,000/– रूप्ये ख्यालीराम से लेने के लिये जेईएएन साहब ने मुझे कहा था, जो राशि ख्यालीराम से लेने के लिये मैंने मेरे कर्मचारी श्री अजय कुमार उर्फ चिन्टू को कहा था। ख्यालीराम की किसी प्रकार की कोई राशि विभाग/राजकोष में जमा होना शेष नहीं थी। उक्त 20,000/रूप्ये की राशि मैंने श्री नरेन्द्र बाकोलिया के कहे अनुसार उनके लिये लेने के लिये मेरे कर्मचारी श्री अजय कुमार उर्फ चिन्टू को कहा था। जेईएएन साहब का फोन आने पर उनके कहने पर मैंने चिन्टू और ख्यालीराम की बात कान्फ्रेस पर लेकर करवाई थी। तत्पश्चात दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मौके पर उपस्थित परिवादी श्री ख्यालीराम के समक्ष संदिग्ध अधिकारी श्री नरेन्द्र बाकोलिया को तलब कर उससे आज दिनांक 27.04.2022 को श्री अजय कुमार सैनी उर्फ चिन्टू से बरामद रिश्वत राशि के सम्बंध में पूछताछ की गई तो संदिग्ध अधिकारी श्री नरेन्द्र बाकोलिया ने बताया कि मैं श्री अजय कुमार सैनी को नहीं जानता हूं, मैंने आज सुबह ठेकेदार श्री रघुवीर सिंह मीणा को 20,000/– रूप्ये उधार दिये थे। जिनको लेने के लिये मैंने फोन पर बातचीत की थी। जिस पर उपस्थित ठेकेदार ने बताया कि जेईएन साहब झूठ बोल रहे है मुझे तीन हजार रूप्ये की जरूरत थी जो जैईएन साहब ने मेरे कर्मचारी नरेन्द्र के बैंक खाते में फोन के जरिये स्थानान्तरित किये थे जो मैंने नरेन्द्र के एटीम से निकाल लिये थे। श्री नरेन्द्र बाकोलिया ने ही मुझे ख्यालीराम के कनेक्शन कार्य पूर्ण होने पर ख्यालीराम से 20,000/– रूप्ये लेने

के लिये कहा था जिस पर मैंने श्री नरेन्द्र बाकोलिया की बात मेरे कर्मचारी श्री अजय कुमार सैनी उर्फ चिन्टू से करवाकर श्री नरेन्द्र बाकोलिया के कहे अनुसार चिन्टू को ख्यालीराम से लेने के लिये कहा था। इस पर श्री नरेन्द्र बाकोलिया ने बताया कि मेरी गलती हो गई तथा गर्दन नीचे करके बैठ गया। रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के दौरान 1,25000/– रूप्ये परिवादी श्री ख्यालीराम से डीमांड नोटीस के एवज में प्राप्त करने के सम्बंध में तथा डीमांड राशि 1,01500/– रूप्ये ही जमा होने के कारण शेष 23,500/– रूप्ये की राशि के बारे में श्री बाकोलिया से पूछा तो बताया कि पिछले आठ–दस दिन में मेरा जयपुर एवं अजमेर में आना जाना रहा है। मैंने उक्त राशि का गाडी में तेल भरवा लिया था और कुछ राशि मैंने खाने पीने में खर्च कर दी।

अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री नरेन्द्र बाकोलिया पुत्र श्री राजाराम जाति रैगर उम्र 29 साल निवासी खेलना तहसील पावटा जयपुर हाल कनिष्ठ अभियंता, ओ एण्ड एम, पनीयाला अतिरिक्त चार्ज नारेहडा, कोटपूतली, जयपुर द्वारा लोकसेवक होते हुये परिवादी श्री ख्यालीराम का विद्युत कनेक्शन करने की एवज में भ्रष्ट एवं अवैध तरीके से ठेकेदार श्री रघुवीर सिंह मीणा पुत्र श्री नत्थूराम मीणा जाति मीणा उम्र 32 साल निवासी सुकलावास पुलिस थाना सरूण्ड, कोटपूतली हाल पेटी ठेकेदार जेवीवीएनएल, नारेहडा, कोटपूतली जयपुर तथा श्री अजय कुमार सैनी उर्फ चिन्टू पुत्र जयराम सैनी जाति माली, उम्र– 26 साल, निवासी– ढाणी भौजासवाली गांव व पुलिस थाना सरूण्ड तह0 कोटपूतली जिला जयपुर से मिलीभगत कर परिवादी से अवैध रूप से रिश्वत की मांग करना तथा उक्त मांग के क्रम में आज दिनांक 27.04.2022 को 20,000/– रूपये की रिश्वत राशि आरोपी श्री अजय कुमार सैनी उर्फ चिन्टू को देने की कहना तथा रिश्वत मांग सत्यापन के समय डिमाड नोटिस जमा करने के एवज में रिश्वत प्राप्त करना पाये जाने से आरोपी श्री नरेन्द्र बाकोलिया के विरूद्ध प्रथम दृष्टया अपराध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 पीसी एक्ट(संशोधन) 2018 व 120 बी भादस का प्रमाणित पाये जाने से गिरफ्तारी वांछित होने से मौके पर श्री नरेन्द्र बाकोलिया को जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया गया। इस क्रम में श्री रघुवीर सिंह मीणा पुत्र श्री नत्थूराम मीणा जाति मीणा उम्र 32 साल निवासी सुकलावास पुलिस थाना सरूण्ड, कोटपूतली हाल पेटी ठेकेदार जेवीवीएनएल, नारेहडा, कोटपूतली जयपुर द्वारा परिवादी श्री ख्यालीराम के बोरिंग पर विद्युत कनेक्शन करने की एवज में आरोपी श्री नरेन्द्र बाकोलिया तथा श्री अजय कुमार सैनी उर्फ चिन्टू से अवैध रूप से मिलीभगत कर आरोपी श्री नरेन्द्र बाकोलिया के कहे अनुसार परिवादी से स्वयं के लिये तथा अन्य के लिये रिश्वत राशि 20,000/– रूपये प्राप्त करने हेतु आरोपी श्री अजय कुमार सैनी को दिलवाना पाये जाने से आरोपी श्री रघुवीर सिंह मीणा के विरूद्ध प्रथम दृष्टया अपराध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7,7ए पीसी एक्ट(संशोधन) 2018 व 120 बी भादस का प्रमाणित पाये जाने से गिरफ्तारी वांछित होने से मौके पर श्री रघुवीर सिंह मीणा को जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया गया।

तत्पश्चात विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डस को बारी–बारी चलाकर सुना गया तो उसमे रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता व रिश्वत लेन–देन के वक्त की वार्ता तथा रिश्वत लेन–देन के बाद आरोपीगणों के मध्य हुई मोबाईल वार्ता हुई जो रिकार्ड होना पाई गई है जिसकी नियमानुसार सीडी व फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार कर रिश्वत मांग सत्यापन व रिश्वत राशि आदान–प्रदान के समय काम में

लिया गया मेमोरी कार्ड जप्त किया गया तथा घटनास्थल का नक्शा मौका पृथक से तैयार किया गया।

सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही, रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता, फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट, फर्द बरामदगी रिश्वती राशि एवं हाथ धुलाई, फर्द गिरफ्तारी, फर्द निरीक्षण घटनास्थल,रिश्वत राशि लेन देन वार्ता एवं मौके की हालात से पाया गया कि परिवादी श्री ख्यालीराम यादव से आरोपी आरोपी श्री नरेन्द्र बाकोलिया पुत्र श्री राजाराम जाति रैगर उम्र 29 साल निवासी खेलना तहसील पावटा जयपुर हाल कनिष्ठ अभियंता, ओ एण्ड एम, पनीयाला अतिरिक्त चार्ज नारेहडा, कोटपूतली, जयपुर द्वारा लोकसेवक होते हुये परिवादी श्री ख्यालीराम का विद्युत कनेक्शन करने की एवज में भ्रष्ट एवं अवैध तरीके से ठेकेदार श्री रघुवीर सिंह मीणा पुत्र श्री नत्थूराम मीणा जाति मीणा उम्र 32 साल निवासी सुकलावास पुलिस थाना सरूण्ड, कोटपूतली हाल पेटी ठेकेदार जेवीवीएनएल, नारेहडा, कोटपूतली जयपुर तथा श्री अजय कुमार सैनी उर्फ चिन्टू पुत्र जयराम सैनी जाति माली, उम्र– 26 साल, निवासी– ढाणी भौजासवाली गांव व पुलिस थाना सरूण्ड तह0 कोटपूतली जिला जयपुर से मिलीभगत कर परिवादी से वैध पारिश्रमिक से भिन्न अवैध पारितोषण की अनुचित मांग करना तथा उक्त मांग के अनुशरण में दिनांक 27.04.2022 को 20,000/– रूपये की रिश्वत राशि प्राप्त करना तथा रिश्वत मांग सत्यापन के समय डिमांड नोटिस जमा करने के एवज में रिश्वत प्राप्त करना प्रथम दृष्टया अपराध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण(संशोधन) अधिनियम 2018 व 120 बी भारतीय दण्ड संहिता का कारित करना प्रमाणित पाये जाने से आरोपीगण 1– आरोपी श्री नरेन्द्र बाकोलिया पुत्र श्री राजाराम जाति रैगर उम्र 29 साल निवासी खेलना तहसील पावटा जयपुर हाल कनिष्ठ अभियंता, ओ एण्ड एम, पनीयाला अतिरिक्त चार्ज नारेहडा, कोटपूतली, जयपुर, 2– श्री रघुवीर सिंह मीणा पुत्र श्री नत्थूराम मीणा जाति मीणा उम्र 32 साल निवासी सुकलावास पुलिस थाना सरूण्ड, कोटपूतली हाल पेटी ठेकेदार जेवीवीएनएल, नारेहडा, कोटपूतली जयपुर एवं 3–श्री अजय कुमार सैनी उर्फ चिन्टू पुत्र जयराम सैनी जाति माली, उम्र– 26 साल, निवासी– ढाणी भौजासवाली गांव व पुलिस थाना सरूण्ड तह0 कोटपूतली जिला जयपुर के विरूद्व विस्तृत अनुसंधान हेतु उपरोक्त धाराओं में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कमांकन हेतु प्रधान आरक्षी केन्द्र एसीबी मुख्यालय जयपुर को प्रेषित है।

(रघुवीर शरण शर्मा)
पुलिस निरीक्षक
विशेष अनुसंधान इकाई
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रघुवीर शरण शर्मा, पुलिस निरीक्षक, विशेष अनुसंधान ईकाई, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1. श्री नरेन्द्र बाकोलिया, कनिष्ठ अभियंता, ओ एण्ड एम, पनीयाला अतिरिक्त चार्ज नारेहडा, कोटपूतली, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर 2. श्री अजय कुमार सैनी उर्फ चिन्टू पुत्र जयराम सैनी, निवासी-ढाणी भौजासवाली गांव व पुलिस थाना सरूण्ड तहसील कोटपूतली जिला जयपुर एवं 3. श्री रघुवीर सिंह मीणा पुत्र श्री नत्थूराम मीणा, निवासी सुकलावास पुलिस थाना सरूण्ड, कोटपूतली हाल पेटी ठेकेदार जेवीवीएनएल, नारेहडा, कोटपूतली, जयपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 151/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

29.4.22

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 1325-29 दिनांक 29.4.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या-1 जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. सचिव प्रशासन, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.आई.यू., जयपुर।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर